प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ, इटावा एवं गोरखपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/CCSP/18–2/2018–19/7735–9 दिनांक 22/10/2018

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों में संविदा ट्रेनिगं कोऑर्डिनेटर (चिकित्साधिकारी) के मानदेय हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/CCSP/18–2/2017–18/4241–9, दिनांक 31.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से प्रदेश के चयनित 09 मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन **के अन्तर्गत** विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इसी क्रम में F-IMNCI मेडिकल आफीसर प्रशिक्षण, F-IMNCI स्टॉफ नर्स प्रशिक्षण, (CCSP-Physicians (IMNCI Plus) फिज़ीशियन्स प्रशिक्षण एवं IYCF प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करने एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराये जाने हेतु संविदा मेडिकल आफीसर (ट्रेनिगं कोऑर्डिनेटर) के मानदेय हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। तदनुसार संविदा ट्रेनिगं कोऑर्डिनेटर (चिकित्साधिकारी) द्वारा कार्य किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के चयनित 09 मेडिकल कॉलेजों में संविदा मेडिकल आफीसर (ट्रेनिगं कोऑर्डिनेटर) के मानदेय हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वित्त पोषण –

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 के FMR Code-16.8.2.1.11 पर अनुमोदन के क्रम में प्रदेश के चयनित 09 मेडिकल कॉलेजों में संविदा ट्रेनिंग को–आर्डिनेटर (चिकित्साधिकारी) के मानदेय हेतु प्रति इकाई 01 संविदा प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर (मेडिकल ऑफीसर) पूर्व से कार्यरत 02 चिकित्सा अधिकारियों को प्रति चिकित्साधिकारी रू0 50208/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय देय होगा **तथा शेष 07** संविदा ट्रेनिंग को–आर्डिनेटर (मेडिकल ऑफीसर) को रू0 39600/– प्रतिमाह की दर से 06 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

Funds for Medical Officer/Training Coordinator, Honorarium at Medical College 2018-19							
S. N.	**Districts**	**Medical College**	**No**	**Old MO @ 50208/- per month for 12 months**	**No**	**New MO @ 39600/- per month for 6 months**	**Total Fund Approved to DHS**
FMR Code- 16.8.2.1.11							
1	**Agra**	Deptt. of SPM, SN Medical College, Agra	1	602496	0	0	602496
2	**Allahabad**	Deptt. of SPM, MLN Medical College, Allahabad	0	0	1	237600	237600
3	**Jhansi**	Deptt. of SPM, MLB Medical College, Jhansi	0	0	1	237600	237600
4	**Kanpur**	Deptt. of SPM, GSVM, Medical College, Kanpur	0	0	1	237600	237600
5	**Lucknow**	Deptt. of Pedia, KGMU, Lucknow	1	602496	0	0	602496
6	**Aligarh**	Deptt. of Pedia, JN Medical College, AMU, Aligarh	0	0	1	237600	237600
7	**Meerut**	Deptt. of Pedia, LLR Medical College, Meerut	0	0	1	237600	237600
8	**Etawah**	Dept. of Pedia., UP University of Medical Science Saifai, Etawah	0	0	1	237600	237600
9	**Gorakhpur**	Deptt. of Pedia. BRD Medical College Gorakhpur	0	0	1	237600	237600
Total Fund Approved			**2**	**1204992**	**7**	**1663200**	**2868192**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वित्तीय निर्देश–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
3. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
6. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
7. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
8. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
9. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/CCSP/18–2/2018–19/ **दिनांक /10/2018**

प्रतिलिपिः निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन लखनऊ।
3. कुलपति, किगंजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ/अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़/उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. सम्बन्धित ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
8. प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा/एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद/ एम0एल0बी0 मेडिकल कॉलेज झाँसी/जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर/एल0एल0आर0 मेडिकल कॉलेज, मेरठ/जे0एन0, मडिकल कॉलेज अलीगढ़।
9. विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग/एस0पी0एम0 विभाग, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा/एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद/एम0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी/जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर/के0जी0एम0यू0, लखनऊ/जे0एन0, मेडिकल कॉलेज, अलीगढ/एल0एल0आर0 मेडिकल कॉलेज, मेरठ/उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर।
10. सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ, इटावा एवं गोरखपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/CCSP/18–2/2018–19/ दिनांक 22/10/2018

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों में संविदा ट्रेनिगं कोऑर्डिनेटर (चिकित्साधिकारी) के मानदेय हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/CCSP/18–2/2017–18/4241–9, दिनांक 31.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से प्रदेश के चयनित 09 मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन **के अन्तर्गत** विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इसी क्रम में F-IMNCI मेडिकल आफीसर प्रशिक्षण, F-IMNCI स्टॉफ नर्स प्रशिक्षण, (CCSP-Physicians (IMNCI Plus) फ़िज़ीशियन्स प्रशिक्षण एवं IYCF प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करने एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराये जाने हेतु संविदा मेडिकल आफीसर (ट्रेनिगं कोऑर्डिनेटर) के मानदेय हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। तद्नुसार संविदा ट्रेनिगं कोऑर्डिनेटर (चिकित्साधिकारी) द्वारा कार्य किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के चयनित 09 मेडिकल कॉलेजों में संविदा मेडिकल आफीसर (ट्रेनिगं कोऑर्डिनेटर) के मानदेय हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वित्त पोषण –

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 की आर0ओ0पी0 के FMR Code-16.8.2.1.11 पर अनुमोदन के क्रम में प्रदेश के चयनित 09 मेडिकल कॉलेजों में संविदा ट्रेनिंग को–आर्डिनेटर (चिकित्साधिकारी) के मानदेय हेतु प्रति इकाई 01 संविदा प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर (मेडिकल ऑफीसर) पूर्व से कार्यरत 02 चिकित्सा अधिकारियों को प्रति चिकित्साधिकारी रू0 50208/– प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय देय होगा **तथा शेष 07** संविदा ट्रेनिंग को–आर्डिनेटर (मेडिकल ऑफीसर) को रू0 39600/– प्रतिमाह की दर से 06 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

Funds for Medical Officer/Training Coordinator, Honorarium at Medical College 2018-19

S. N.	Districts	Medical College	No	Old MO @ 50208/- per month for 12 months	No	New MO @ 39600/- per month for 6 months	Total Fund Approved to DHS
		FMR Code- 16.8.2.1.11					
1	Agra	Deptt. of SPM, SN Medical College, Agra	1	602496	0	0	602496
2	Allahabad	Deptt. of SPM, MLN Medical College, Allahabad	0	0	1	237600	237600
3	Jhansi	Deptt. of SPM, MLB Medical College, Jhansi	0	0	1	237600	237600
4	Kanpur	Deptt. of SPM, GSVM, Medical College, Kanpur	0	0	1	237600	237600
5	Lucknow	Deptt. of Pedia, KGMU, Lucknow	1	602496	0	0	602496
6	Aligarh	Deptt. of Pedia, JN Medical College, AMU, Aligarh	0	0	1	237600	237600
7	Meerut	Deptt. of Pedia, LLR Medical College, Meerut	0	0	1	237600	237600
8	Etawah	Dept. of Pedia., UP University of Medical Science Saifai, Etawah	0	0	1	237600	237600
9	Gorakhpur	Deptt. of Pedia. BRD Medical College Gorakhpur	0	0	1	237600	237600
		Total Fund Approved	**2**	**1204992**	**7**	**1663200**	**2868192**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित मेडिकल कालेजों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वित्तीय निर्देश–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
3. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की पृविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
6. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
7. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
8. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
9. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

7735-9(10)

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/CCSP/18–2/2018–19/ दिनांक 22/10/2018

प्रतिलिपिः निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन लखनऊ।
3. कुलपति, किगंजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ/अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़/उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. सम्बन्धित ज़िलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
8. प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा/एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद/ एम0एल0बी0 मेडिकल कॉलेज झाँसी/जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर/एल0एल0आर0 मेडिकल कॉलेज, मेरठ/जे0एन0, मडिकल कॉलेज अलीगढ़।
9. विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग/एस0पी0एम0 विभाग, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा/एम0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद/एम0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी/जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर/के0जी0एम0यू0, लखनऊ/जे0एन0, मेडिकल कॉलेज, अलीगढ/एल0एल0आर0 मेडिकल कॉलेज, मेरठ/उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर।
10. सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य